सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
–:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::–
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 89 / 2017 दायर दिनाँक 13.04.2017

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. कन्हैयालाल पुत्र बंशीलाल, उम्र–36साल, 2. चम्पादेवी पत्नी बंशीलाल, उम्र–47साल, 3. प्रहलाद पुत्र रामेश्वर, उम्र–25साल, 4. चूँकादेवी पत्नी रामेश्वरल, उम्र–44साल, समस्त,जाति–बावरी, निवासी–सिंघाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. विमला पत्नी भागूराम, 2. दोलाराम पुत्र मोहनराम, 3. मदनलाल पुत्र मोहनराम, 4. प्रेमाराम पुत्र मोहनराम, 5. चेनाराम पुत्र मोहनराम, 6. रूकमा पत्नी मोहनलाल, 7. उुलतान पुत्र लिछमणराम, 8. राकेश पुत्र बीरबल, 9. शान्ति पत्नी बीरबल, 10. मांगीलाल पुत्र धन्नाराम, 11. रामप्यारी पत्नी हीराराम, 12. हड़मानराम पुत्र हीराराम, 13. चुन्नीलाल पुत्र हीराराम, 14. राजूराम पुत्र हीराराम, 15. नानूराम पुत्र श्रीकिशन, 16. मनु पत्नी श्रीकिशन, 17. अनाराम पुत्र मगनाराम, 18. रामनिवास पुत्र मगनाराम, 19. ताराचन्द पुत्र बंशीलाल, 20. पन्नालाल पुत्र बंशीलाल, 21. मालाराम पुत्र मोतीराम, 22. पूर्णाराम पुत्र चन्द्राराम, समस्त,जाति–बावरी, निवासी–सिंघाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 23. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 23.05.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **वादीगण संख्या 02 ता 04 उपस्थित** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा शरहद ग्राम सिंघाना में खसरा नम्बर 646 / 17 रकबा 05.11 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान दर्ज खातेदार विमला

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

पत्नी भागूराम के साथ, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 19 ता 21 को भी सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.............
.......–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह..........–.........
आज की तारीख को अदा करें। बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **23.05.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सिंघाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सिंघाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 89/2017 दायर दिनाँक 13.04.2017

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. कन्हैयालाल पुत्र बंशीलाल, उम्र–36साल, 2. चम्पादेवी पत्नी बंशीलाल, उम्र–47साल, 3. प्रहलाद पुत्र रामेश्वर, उम्र–25साल, 4. चूँकादेवी पत्नी रामेश्वरल, उम्र–44साल, समस्त,जाति–बावरी, निवासी–सिंघाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. विमला पत्नी भागूराम, 2. दोलाराम पुत्र मोहनराम, 3. मदनलाल पुत्र मोहनराम, 4. प्रेमाराम पुत्र मोहनराम, 5. चेनाराम पुत्र मोहनराम, 6. रूकमा पत्नी मोहनलाल, 7. सुलतान पुत्र लिछमणराम, 8. राकेश पुत्र बीरबल, 9. शान्ति पत्नी बीरबल, 10. मांगीलाल पुत्र धन्नाराम, 11. रामप्यारी पत्नी हीराराम, 12. हड़मानराम पुत्र हीराराम, 13. चुन्नीलाल पुत्र हीराराम, 14. राजूराम पुत्र हीराराम, 15. नानूराम पुत्र श्रीकिशन, 16. मनु पत्नी श्रीकिशन, 17. अनाराम पुत्र मगनाराम, 18. रामनिवास पुत्र मगनाराम, 19. ताराचन्द पुत्र बंशीलाल, 20. पन्नालाल पुत्र बंशीलाल, 21. मालाराम पुत्र मोतीराम, 22. पूर्णाराम पुत्र चन्द्राराम, समस्त,जाति–बावरी, निवासी–सिंघाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 23. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. वादीगण 02 ता 04 उपस्थित।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 89 / 2017
दायर दिनाँक 13.04.2017, निर्णय दिनाँक 23.05.2018
कन्हैयालाल, वगैरा बनाम् विमला, वगैरा।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 23.05.2018

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 21 स्वर्गीय मानाराम के वारिशान् हैं। स्वर्गीय मानाराम के अन्य वारिशान् को इस वाद में पक्षकार इसलिए नहीं बनाया गया है कि उनसे कोई सहायता या इस्तदुआ नहीं चाही गयी है।

शरहद सिंघाना में खेत खसरा नम्बर 16 रकबा 18.03 बीघा, खेत खसरा नम्बर 17 रकबा 16.04 बीघा, खेत खसरा नम्बर 165 रकबा 0.12 बीघा व खेत खसरा नम्बर 456 रकबा 34.00 बीघा, कुल रकबा 69.09 बीघा भूमि स्वर्गीय मगनाराम के वारिश व मगनाराम पुत्र श्योलाल के वारिशान् प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 18 के अकेले के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। नकल पेश है।

प्रार्थना वादीगण है कि,

शरहद सिंघाना के मूल खसरा नम्बर 17 रकबा 16.14 बीघा में से न्यायालय के आदेश के द्वारा वर्तमान खसरा नम्बर 646 / 17 रकबा 05.11 बीघा भूमि में प्रतिवादी विमला के साथ वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 19 ता 21 ताराचन्द, पन्नालाल व मालाराम को खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 की ओर से प्रकरण में इकबालिया जवाब पेश है। प्रतिवादी संख्या 16 मुन्नीदेवी उर्फ मन्नुदेवी का कायम मुकाम आवेदन अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश हुआ जिनके वारिशान् पहले से ही रिकॉर्ड पर है।

वादीगण ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम सिंघाना सम्वत् 2072–2075 खेवट संख्या 177 / 147 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश है।

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 89/2017
दायर दिनॉक 13.04.2017, निर्णय दिनॉक 23.05.2018
कन्हैयालाल, वगैरा बनाम् विमला, वगैरा।

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–सिंघाना में पत्रावली पेश हुई। वादीगण संख्या 02 ता 04 उपस्थित। वादीगण को सुना गया। वादीगण ने दावा स्वीकार कर, दावा डिक्री किया जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व साक्ष्य का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। मजमे आम में प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। मजमे आम में प्राप्त जानकारी से ज्ञात हुआ कि, शरहद ग्राम सिंघाना में खसरा नम्बर 646/17 रकबा 05.11 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 विमला के साथ, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 19 ता 21 को सहखातेदारान् घोषित किया जाना सही होगा।

उपर्यक्त के परिप्रेक्ष्य में शरहद ग्राम सिंघाना में खसरा नम्बर 646/17 रकबा 05.11 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 विमला के साथ, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 19 ता 21 को सहखातेदारान् घोषित किया जाना न्यायालय के मत में न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण, डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: आदेश ::–

हस्ब दावा शरहद ग्राम सिंघाना में खसरा नम्बर 646/17 रकबा 05.11 बीघा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान दर्ज खातेदार विमला पत्नी भागूराम के साथ, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 19 ता 21 को भी सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सिंघाना

निर्णय, आज दिनॉक **23.05.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सिंघाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांकः–89–2017/रीडर/2018/ दिनाँक 23.05.2018

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. कन्हैयालाल पुत्र बंशीलाल, उम्र–36साल, जाति–बावरी, निवासी–सिंघाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।	बनाम	1. विमला पत्नी भागूराम, जाति–बावरी, निवासी–सिंघाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–सिंघाना

Scanned by CamScanner